उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-1
(नियोजन विभाग)
संख्या-1/1(2) /35--आ-1-92-226
लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी, 2003

अधिसूचना
विविध

संकल्प संख्या-16 (एस) 72-122, दिनांक 24 अगस्त, 1972 द्वारा राज्य स्तर पर नियोजन प्रक्रिया को व्यापक एवं सुदृढ़ करने के लिए गठित राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन से सम्बन्धित समस्त पूर्वादेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय राज्य योजना आयोग को पुनर्गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पुनर्गठित राज्य योजना आयोग का स्वरूप अब निम्नवत् होगाः

1-	मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2-	श्री टी.एन.धर, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त), आठवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।	सदस्य
3-	श्री आर.डी.सोनकर, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त), ए-493, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	सदस्य
4-	श्री के.के.सचान, 126/15, आर ब्लाक, गोबिन्द नगर, कानपुर।	सदस्य
5-	श्री एस.के.कुरील, म.नं.-206, ब्लाक-दस/1, कृष्णापुरम, कानपुर-208007	सदस्य
6-	श्री पी.सी. श्रीवास्तव, प्रमुख वन संरक्षक (सेवानिवृत्त), 4/40 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ -10	सदस्य
7-	प्रो.अंगने लाल, आर-25 संजयगांधीपुरम, सिद्धार्थलेन, फैजाबाद रोड, लखनऊ।	सदस्य
8-	श्रीमती ज्योत्सिना श्रीवास्तव, 87-शिवा जी नगर महमूरगंज, वाराणसी।	सदस्य

9-	प्रो. जी. ननचरैया, कुलपति, डा. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ।	सदस्य
10-	प्रो. पी. महालिंघम, सन्तोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद।	सदस्य
11-	प्रो. रमेश चन्द्रा, कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।	सदस्य
12-	श्री राम चन्द्र प्रधान, जिलाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, सेक्टर-सी, सी 810, महानगर, लखनऊ।	सदस्य
13-	मुख्य सचिव	सदस्य
14-	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य,
15-	औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
16-	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
17-	प्रमुख सचिव, सिंचाई	सदस्य
18-	प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
19-	प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य-सचिव

2- उक्त क्रमांक 2 से 12 में उल्लिखित गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2007 तक होगी। इस अवधि एवं सदस्यों के मनोनयन तथा संख्या के सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

3- राज्य योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य होगें:-

(1) राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों (भौतिक, वित्तीय एवं जनशक्ति) का अनुमान लगाना तथा राज्य के विकास में इनके सर्वोत्तम उपयोग के बारे में सुझाव देना।

(2) राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों एवं प्राथमिकता के साथ राज्य की आवश्यकताओं, संसाधनों एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार और कार्यक्रमवार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं बनाना।

(3) राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारणों को इंगित करना तथा योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु उनका समाधान ढूंढना।

(4) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का सुझाव।

(5) आयोजनागत कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना।

(6) नियोजन एवं विकास की प्रणाली में आवश्यक संशोधन इंगित करना।

(7) वार्षिक योजनाओं के प्रारूप को तैयार करने के संबंध में निर्णय देना।

(8) पंचवर्षीय योजनाओं के तैयार करने के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं

(9) ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा दिये जाए।

4- राज्यपाल महोदय ने यह भी आदेश दिया है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-3 के नियम 20 (बी) के अन्तर्गत राज्य योजना आयोग के गैर सरकारी सदस्यों को,जो उस स्टेशन के स्थानीय निवासी नहीं हैं, जहाँ आयोग की बैठक होती है, आयोग की बैठक में सम्मिलित होने के लिए, की गई यात्राओं तथा पड़ाव के लिए नियमानुसार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय यात्रिक भत्ते के बराबर यात्रिक भत्ता दिया जायेगा। जिन सदस्यों को अपने भौतिक संगठनों में रेल के वातानुकूलित कोच, हवाई जहाज से यात्रा अनुमन्य है, उन्हें आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए उसी प्रकार से यात्रा करने पर तदनुसार नियम के नोट-3 (1) के अपवाद के अधीन रहते हुए यह भत्ता इन लोगों को सामान्य निवास स्थान से आयोग की बैठक के स्टेशन तक की यात्राओं के लिए देय होगें। यह सुविधा उन गैर सरकारी सदस्यों को भी अनुमन्य होगी, जिनकी हैसियत को दृष्टिगत करते हुए उनकी यात्रा के विषय में प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इसके अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/1(1) 79-51 (रा.यो.आ.) /79 दिनांक 31-7-79(संलग्नक-1) के अनुसार गैर सरकारी सदस्यों को योजना आयोग से सम्बन्धित किसी निश्चित विकास कार्य से प्रदेश के किसी भी स्थान की यात्रा करने पर भी उन्हें यात्रा भत्ता एवं मानदेय उसी दर से दिया जायेगा जिस दर से उन्हें आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुमन्य है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्य के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव/सचिव,नियोजन द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि निश्चित विकास कार्य क्या था जिसके लिए सम्बन्धित सदस्य ने दौरा किया। यदि यात्रा के समय रेलवे रियायती दर पर टिकट देती है तो यात्रा भत्ता रेल के लिए वास्तविक किराये व प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय प्रासंगिक व्यय के बराबर होगा। यात्रिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित नोट-1 से 4 तक के प्राविधानों के अधीन होगा।

5- कार्यालय ज्ञाप संख्या-1983/35-5-77 दिनांक 28 मई,1977(संलग्नक-2) के अनुसार राज्य योजना आयोग के अवैतनिक गैर सरकारी सदस्यों को बैठक के प्रत्येक दिन रू.250/-(दो सौ पचास रू..केवल) की दर से मानदेय दिया जायेगा।

6- यह भी निर्णय लिया गया है कि अवैतनिक गैर सरकारी सदस्यों की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग ग्रुप की बैठकों में भाग लेने अथवा उनसे संबंधित कार्य निष्पादन हेतु गैर सरकारी सदस्य जब कभी अपने मौलिक संगठन से लखनऊ अथवा प्रदेश के अन्य किसी स्थान की यात्रा करेंगे, उन्हें प्रस्तर-4 एवं 5 में उल्लिखित निर्देशों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता तथा मानदेय देय होगा।

7- आयोग के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों को प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान सं.40 के लेखाशीर्षक " 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-03 राज्य योजना आयोग के अंतर्गत डाला जायेगा। "

नियोजन विभाग,राज्य योजना आयोग का सचिवालय होगा।

(अनीस अंसारी)
प्रमुख सचिव,नियोजन।